

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

अपर निदेशक,
मलेरिया एवं वी०बी०डी०, जवाहर भवन,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र सं०-०४-ए/एन०वी०बी०डी०सी०पी०/एन०पी०/२०१७-१८/८५ दिनांक ०४/०४/१८
विषय- १८ वी०बी०डी० कन्सलटेन्ट के ०८ माह के मानदेय की धनराशि जनपदों को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

भारत सरकार द्वारा अनुपूरक राज्य कार्ययोजना वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में एन०वी०बी०डी०सी०पी० के मानक मद FMR- F.1.1.a.ii में अनुमोदित धनराशि से १८ वी०बी०डी० कन्सलटेन्ट के ०८ माह के मानदेय की शेष धनराशि रू० ३४.६२ लाख दिनांक २३.०३.२०१८ को सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खातों में निम्नानुसार अवमुक्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक ३१.०३.२०१८ को ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट, एन०एच०एम को सूचित किया जा चुका है।

Sr.no.	Name of District	Released Amount
1	Allahabad	192312
2	Bahraich	192312
3	Ballia	192312
4	Banda	192312
5	Deoria	192312
6	Ghazipur	192312
7	Kanpur Nagar	192312
8	Lucknow	192312
9	Maharajganj	192312
10	MIRZAPUR	192312
11	Moradabad	192312
12	Muzaffar Nagar	192312
13	Saharanpur	192312
14	Sambhal	192312
15	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	192312
16	Shamali	192312
17	Sonbhadra	192312
18	Varanasi	192312
Grand Total		3461616

आपसे अनुरोध है कि एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु जनपदों को पृथक से दिशा-निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीया,


(डा० विजय लक्ष्मी)
वरिष्ठ सलाहकार।

पत्र सं०-०४-ए/एन०वी०बी०डी०सी०पी०/एन०पी०/२०१७-१८ ८५-९ दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
2. निदेशक संचारी रोग/बी०वी०डी०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र०।
4. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
5. सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट—www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. महाप्रबन्धक, आई०ई०सी०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०।
8. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3/4/18

(डा० विजय लक्ष्मी)

वरिष्ठ सलाहकार।

०६

५६